Digitally Signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1—सीताकंवर पत्नी भीमसिंह पुत्री तगसिंह जाति राजपूत निवासी छीबागांव हाल निवासी अंगौर तह0 सुमेरपुर जिला पाली 2—चंदाकंवर पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री तगसिंह जाति राजपूत निवासी छीबागांव हाल निवासी अंगौर तह0 सुमेरपुर जिला पाली	**बनाम**	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 54/2024

—:आदेश:— **दिनांक 22.12.2024**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकां संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **मौजा छीबागांव** पटवार हल्का छीबागांव भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र उथमण तहसील शिवगंज में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 346/696 रकबा कमशः 0.4047 हैक्टयर है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थीगण व अन्य खातेदार के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त कृषि आराजी का उत्तराधिकारी नामांतरकरण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तो उपरोक्त कृषि आराजी का नामांतरकरण प्रार्थीगण के गलत नाम लीलाकुंवर, नंदाकुंवर पुत्रीयां तगसिंह राजपूत निवासी छीबागांव के नाम से दर्ज कर दिया गया था। नामांतरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थीगण के सही नाम का सत्यापन किये बिना सेवन से सीताकुंवर, चंदाकुंवर पुत्रीयां तगसिंह गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकित व दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम सीताकंवर व चंदाकंवर पुत्रीयां तगसिंह है। उक्त तथ्यों की पुष्ठि आधार कार्ड, जनआधार कार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेजों से होती है। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इंद्राज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को परेशानियों से गुजरना पडता है। अतः प्रार्थीगण ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 22.12.2024 को जवाब पेश कर अवगत कराया कि मौजा छीबागांव के वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण नंदाकुंवर व चंदाकुंवर दोनों एक ही व्यक्ति है। तथा इसी तरह लीलाकुंवर व सीताकंवर दोनों एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रकरण के संबंध में उभय पक्ष की दिनांक 22.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम त्रुटिवश नन्दाकुंवर व लीलाकुंवर गलत इंद्राज हो [illegible] अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों में सही नाम चंदाकुंवर व सीताक[illegible]तगसिंह ही है।

पत्रावली आज दिनांक 22.12.202[illegible] शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीना[illegible] नाम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, [illegible] शपथपत्र व बयान एवं [illegible]दार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अदालत में [illegible]पसी राजीनामा, दस्ता[illegible]साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, प्रस्तुत शपथपत्र/बयान व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा छीबागांव** पटवार हल्का छीबागांव भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उथमण तहसील शिवगंज के **ख़सरा नंम्बर 346/696 कुल रकबा 0.4047 हैक्टयर** में दर्ज नाम नंदाकुंवर पुत्री तगसिंह के स्थान पर **''चंदाकंवर पुत्री तगसिंह''** व लीलाकुंवर पुत्री तगसिंह के स्थान पर **''सीताकंवर पुत्री तगसिंह''** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2024 को रा0 लोक अदालत कैम्प शिवगंज में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 22–12–2024

क्रमांकः–कोर्ट/2024/658
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी * शिवगंज (राजस्थान) *

उपखण्ड अधिकारी
डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:50 IST
Reason: SelfAttested